सुनिश्चित रोजगार योजना

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का 70 प्रतिशत सीधे क्षेत्र पंचायतों को एवं सीधे क्षेत्र पंचायतों को एवं 30 प्रतिशत जिला पंचायत को दे दिया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 60 वर्ष की आयु के जरूरत मन्द तथा अकुशल श्रमिक कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को वर्ष में 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी वयस्क पुरूष/महिलाएं जिनकी आयु 18 से 60 के बीच हो पात्रता की श्रेणी में माने जायेंगे।

लाभार्थियों का चिन्हीकरण एवं पंजीकरण

चयनित विकास खण्ड की ग्रामसभा में निवास करने वाले पात्र व्यक्ति सम्बन्धित मल्टी पर्पज वर्कर के माध्यम से ग्रामसभा में पंजीकरण करायेंगे। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक फेमिली कार्ड जारी किया जायेगा। कार्ड में पंजीकृत श्रमिक को उपलब्ध कराये गये रोजगार, प्रदत्त धनराशि एवं खाद्यान्न का अंकन किया जायेगा। बिना कार्ड प्राप्त किए कोई व्यक्ति रोजगार का पात्र नहीं होगा। परिवार कार्ड के आधार पर यदि 20 व्यक्ति कार्य करने का अनुरोध करते हैं और उस समय कोई कार्य की व्यवस्था न हो तो सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी द्वारा उन्हें 15 दिन के भीतर नई परियोजना तैयार कराकर रोजगार सुलभ कराया जायेगा। परियोजना तैयार करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रोजेक्ट श्रम प्रधान हो तथा श्रम सामग्री का अनुपात 60:40 प्रतिशत हो। इस योजनाके अन्तर्गत जल संरक्षण विकास कार्य, भूमि संरक्षण विकास कार्य, लघु सिंचाई तथा नहर, ग्रामों को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग, प्राइमरी पाठशाला भवन, आंगन बाड़ी केन्द्र का निर्माण इत्यादि परियोजनायें मुख्यत: की जाती है।

राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अपारम्परिक ऊर्जा की व्यवस्था करना, बेहतर गोबर की खाद प्राप्त करना, गृहणियों के स्वास्थ्य में सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति दिलाना है। यह कार्य खण्ड विकास अधिकारी के अधीन 'टर्नकी' कार्यकर्ता एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से क्रियान्वित किया जाता है। यदि किसी परिवार के पास 4 या 5 पशु (25 कि०ग्रा० गोबर रोजाना) रहे तो यह संयंत्र लगवाया जा सकता है। बायोगैस संयन्त्र लगवाने पर भारत सरकार द्वारा छूट की भी व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति, भूमिहीन कृषक, लघु/सीमान्त कृषकों के लिए रु० 2300-00 प्रति संयंत्र तथा अन्य समस्त लाभार्थी को रु० 1800-00 प्रति संयंत्र अनुदान अनुमन्य है। बायोगैस संयंत्रों को स्वच्छ शौचालय से सम्बद्ध करने पर रु० 500-00 प्रति संयंत्र अतिरिक्त सहायता दी जाती है। टर्नकी कार्यकर्ता को 'टर्नकी' जॉब फीस के रूप में रु० 500-00 प्रति संयंत्र अलग से दिये जाने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन की, पर्यावरण में सुधार तथा ग्रामीण परिवारों को धुएं से होने वाले रोगों से सुरक्षा करना है। ग्रामीणों को ये चूल्हे विकास खण्डों के माध्यम से कम कीमत पर उपलब्ध कराये जाते हैं। भारत सरकार की ओर से इन चूल्हों पर अनुदान भी दिया जाता है जिसका विवरण निम्न है :—

1. स्थायी उन्नत चूल्हा : इस चूल्हे की लागत रु० 60-00 निर्धारित है जिसमें रु० 20-00 अनुदान की व्यवस्था है शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जाती है। इसके अतिरिक्त स्वत: रोजगार कार्यकर्ता/कर्त्री को स्थायी उन्नत चूल्हा निर्माण एवं एक वर्ष तक के रख-रखाव के लिए निम्न प्रकार अनुदान की धनराशि दिये जाने की व्यस्था है :—

(अ) एक मुँह वाले चिमनी सहित चूल्हों पर रु० 20-00 प्रति चूल्हा।
(ब) दो/तीन मुँह वाले चिमनी सहित चूल्हों पर रु० 30-00 प्रति चूल्हा।

2. उठाऊ चूल्हा : इस चूल्हे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को अधिकतम रु० 50-00 प्रति चूल्हे की दर से अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्व्यं वहन की जाती है।

— चूल्हे की लागत रु० 198-00
— अनु० जाति के लिये छूट सहित रु 78-00
— अन्य वर्ग के लिए छूट सहित रु० 98-00